

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.  
पीठासीन अधिकारी:—श्री रवि विजय R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 07/2019  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:निर्णय:—

दिनांक — 28.06.2019

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोट सोलंकियान व भू.अ. नि. मगरतलाव की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देसूरी/नायब तहसीलदार देसूरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोट सोलंकियान तह. देसूरी व जिला पाली की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 24 एवं 1 (राज. सरकार) में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कोट सोलंकियान	24	खसरा संख्या 400/1700 रकबा 0.31 हेक्टर, खसरा संख्या	खसरा संख्या 433/1700 रकबा 0.31 हेक्टर
2	कोट सोलंकियान	1 (राज. सरकार)	खसरा संख्या 152/1719	खसरा संख्या 153/1719

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मजमा ए आम में सरे इजलास सुनाया गया।



(रवि विजय R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (पाली)

दिनांक :- 15/7/19

क्रमांक :- कोर्ट/रीडर/2019/108-109

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का कोट सोलंकियान को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड देसूरी  
देसूरी (पाली)